न्यायालयः– अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायसेन अधिकरण बरेली, जिला रायसेन (म0प्र0)
(समक्ष :–श्रीमती सविता ओगले)

Registration No.- MACC/1/2018
Filling No.-MACC/32/2018
CNR No.-MP38050001132018
Filling Date-24/01/2018

1– लक्ष्मीदास, आयु–58 वर्ष,
आत्मज बाबूदास बैरागी,
2– श्रीमती रूपा, आयु–49 वर्ष,
आत्मज लक्ष्मीदास बैरागी,
दोनों निवासी–ग्राम कनवार, बाडी,
तहसील व थाना बाडी, जिला रायसेन म.प्र.
––––––––आवेदकगण

// वि रू द्ध //

1– राकेश, आयु–35 वर्ष,
आत्मज गोविन्दसिंह रघुवंशी,
निवासी–ग्राम अहमदपुर, बरेली,
तहसील व थाना बरेली, जिला रायसेन म.प्र.
(वाहन बोलेरो कमांक MP40-CA-3388 का चालक)
2– मनोज, आयु–32 वर्ष,
आत्मज बुंदेलसिंह रघुवंशी,
निवासी–परिणय गार्डन के पास, विदिशा,
जिला विदिशा म.प्र.
(वाहन बोलेरो कमांक MP40-CA-3388 का स्वामी)
3– यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
131/11 जोन–2 एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.
(वाहन बोलेरो कमांक MP40-CA-3388 का स्वामी)
–––––––––––अनावेदकगण

// अ धि नि र्ण य //
(आज दिनांक 14.11.2019 को पारित)

1– आवेदकगण के द्वारा यह आवेदन धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत मृतक राहुल बैरागी की वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए कुल क्षतिपूर्ति 2,05,000 रुपये अनावेदकगण से संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से दिलायी जाने हेतु पेश किया है।

2– प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि दिनांक 22.06.17 को

Continued.....2

उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक–2 मनोज रघुवंशी था, उक्त वाहन का चालक अनावेदक क्रमांक 1 राकेश रघुवंशी था तथा उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक–3 के यहां बीमित था।

3– आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 22.06.17 को ग्राम कनवार से मृतक राहुल बैरागी अपने दोस्त नीलेश ठाकुर के साथ ग्राम भाडोन तहसील उदयपुरा गये थे। वहां से वापस लौट रहे थे कि तभी करीब रात 8 बजे ग्राम भाडौन से निकलकर पुलिस के पास सामने से तेजी से चलती हुई बोलेरो क्रमांक एम.पी.–40–सी.ए.–3388 ने टक्कर मार दी, जिससे राहुल बैरागी बुरी तरह घ ाायल हो गया और इलाज के दौरान हमीदिया अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। घटना पर से थाना उदयपुरा मे धारा 304ए भा0दं0सं0 के तहत अपराध क्रमांक–252/17 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दुर्घटना कारित करने वाला उक्त वाहन अनावेदक क्रं. 1 के आधिपत्य में होकर अनावेदक क्रं. 2 के स्वामित्व का था।

4– आवेदकगण द्वारा मृतक की आकस्मिक मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति हेतु 10,00,000/–दस लाख रुपये, आवेदक क्रमांक 1 को उसके पुत्र के सहारे से वंचित होने पर क्षतिपूर्ति हेतु 3,00,000/–तीन लाख रुपये, आवेदक क्रमांक 2 को उसके पुत्र के सहारे से से वंचित होने पर क्षतिपूर्ति 3,00,000/–रुपये, मानसिक कष्ट के लिये क्षतिपूर्ति 4,00,000/–चार लाख रुपये, मृतक के दाह संस्कार एवं तेहरवी में हुए खर्च की क्षतिपूर्ति हेतु 5000/–पांच हजार रुपये, कुल 20,50,000/–(रुपये बीस लाख पचास हजार) अनावेदकगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद कारण न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में है। उक्त स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि 20,50,000/– (रुपये बीस लाख पचास हजार) अनावेदकगण से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

5– अनावेदक क्रं. 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से जबावदावा प्रस्तुत कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि अनावेदक क्रं. 2 के स्वत्व व आधिपत्य का वाहन क्रं. एम.पी.–40 सी.ए. 3388 तथा कथित दुर्घटना दिनांक को पूर्णतः बीमित था तथा चालक अनावेदक क्रं. 1 लायसेंसधारी चालक है, इस कारण अनावेदक क्रं. 1 व 2 किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति धनराशि आवेदकगण को देने के लिए उत्तरदायी न होने से आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6– अनावेदक क्रं. 3 बीमा कंपनी के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदन के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथनों में यह बताया है कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही, असावधानी का

Continued.....3

परिणाम है, जिसके लिये मृतक स्वयं जिम्मेदार है, अनावेदक क्रं. 3 नहीं। मृतक वैध लायसेंसी चालक नहीं है। आवेदकगण द्वारा सोचसमझकर पुलिस से मिलकर अत्यधिक विलंब से दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा बीमित वाहन को क्लेम प्राप्ति हेतु उक्त दुर्घटना में लिप्त किया गया है वाहन क्रमांक एम.पी.–40 सी.ए. 3388 से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। आवेदकगण द्वारा मृतक की मोटरसाईकल के स्वामी/बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो आवश्यक पक्षकार होकर क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रं. 1 वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंसधारी चालक नहीं था। दुर्घटना तिथि को तथाकथित वाहन का उपयोग मोटरयान नियम एवं बीमा पॉलिसी की शर्तो के विपरीत किया जा रहा था। अनावेदक क्रं. 3 जबावदावे में वर्णित समस्त बिंदूओं पर धारा 170 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत बचाव का अधिकार सुरक्षित रखता है। वाहन स्वामी द्वारा बीमा प्रीमियम की राशि जमा न होने की दशा में बीमा अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत वह क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। बीमा धारक द्वारा तत्समय दुर्घटना की सूचना अनावेदक क्रं. 3 को नहीं दी गई। बीमा शर्तों के उल्लंघन की दशा में बीमा कंपनी को अवार्ड जमा करके बीमा धारक/चालक से वसूल करने(पे एंड रीकवर) संबंधी निर्देश देने का अधिकार नहीं है। पे एंड रीकवर संबंधी आर्डर माननीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान अनुच्छेदक 136, 142 के अंतर्गत निजी शक्तियों के अनुसार कर सकते हैं। न्यायदृष्टांत **इफको टोकियो विरुद्ध शंकरलाल 2009 ए.सी.जे. 2618**, **यूनाइटेड इंडिया कंपनी विरुद्ध गोपीचंद ठाकरे 2008 ए.सी. जे. 2618** एवं **नेश्नल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध परनती 30.08. 09 एल.सी.** अधिकरण पर बंधनकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक निर्णत की गई है, जिसका उल्लेख न्यायदृष्टांत **ए.सी.सी.(4)** में उल्लेख है। आवेदकगण द्वारा विलंब कारित करने की दशा में वह ब्याज पाने के अधिकारी नहीं होंगे। आवेदकगण द्वारा उक्त दुर्घटना के संबंध में अन्य कोई प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन न होने के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

7– प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न आशय के वाद प्रश्न बनाये गये हैं। जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष में अंकित किये जा रहे हैं:–

क्रमांक	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1–	क्या प्रतिप्रार्थी क्रमांक 01 चालक राकेश रघुवंशी ने वाहन क्रमांक एम.पी.–40–सी.ए. 3388 को दिनांक 22.06.17 को रात्रि 08:00 बजे या उसके लगभग ग्राम भाडोन,	प्रमाणित।

Continued.....4

	तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र. में रोड पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर राहुल बैरागी की मृत्यु कारित की ?	
2–	क्या प्रार्थी प्रतिकर राशि पाने का पात्र है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?	अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक रूप से कुल 9,97,800 / – रुपये
3–	सहायता एवं खर्चे ?	कंडिका कं.–32 के अनुसार।

// **निष्कर्ष के कारण एवं आधार** //

वाद प्रश्न कमांक–1

8– उक्त वाद प्रश्न को साबित करने का भार आवेदकगण पर है। उपरोक्त वाद प्रश्न के संबंध में लक्ष्मीदास अ.सा.कं.–1 का कहना है कि दिनांक 22.06.17 को उसका पुत्र राहुल ग्राम कन्हवार से ग्राम भाडोन तहसील उदयपुरा बारात में गया था, जिसके साथ नीलेश ठाकुर भी था। उक्त दिनांक को रात्रि आठ बजे जब वह मोटरसाईकल से वापस लौट रहे थे, तभी ग्राम भाडोन के बाहर पुलिया के पास एक सफेद बुलैरो गाडी कमांक एम.पी.–40 सी. 3388 का चालक गाडी को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसके पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे उसके पुत्र के सिर में गंभीर चोट आयी। उसके पुत्र को इलाज हेतु उसके साथ के लोग बरेली अस्पताल ले गये, जहां से उसे हमीदिया अस्पताल भोपाल रैफर कर दिया, जहां अगले दिन उसकी मृत्यु हो गयी।

9– उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए रोहित अ.सा.कं.–2 का कहना है कि उक्त घटना की जानकारी उसे उसके भाई के साथ ग्राम भाडोन गये देवेश कुशवाहा ने फोन पर दी थी कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। देवेन्द्र कुशवाहा अ.सा.कं.–3 द्वारा भी उक्त कथनों का समर्थन करते हुए व्यक्त किया कि घटना दिनांक को उसकी मोटरसाईकल के आगे राहुल बैरागी की मोटरसाईकल चल रही थी, जिस पर नीलेश ठाकुर बैठा था, तभी ग्राम भाडोन के वाहन पुलिया के पास एक बुलैरो गाडी कमांक एम.पी.–40–सी–3388 के चालक ने गाडी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर राहुल को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद गाडी वहीं रूक गयी थी। चालक को उन लोगों ने पकड़ लिया था, जिसने अपना नाम राकेश रघुवंशी बताया था।

10– आवेदक लक्ष्मीदास वैरागी अ.सा.01 ने अपने कथनों के समर्थन में आर.टी. 398 / 17 अपराध कमांक 252 / 17 का अभियोग पत्र

Continued.....5

प्रदर्श पी–1, आपराधिक प्रकरण में लेखबद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट प्रदर्श पी–2, मर्ग प्रदर्श पी–3, मर्ग इंटीमेशन 0/330 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–4, सफीना फॉर्म प्रदर्श पी–5, शव सुपुर्दनामा दस्तावेज प्रदर्श पी–6, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–7, नक्शा मौका प्रदर्श पी–8, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9, सूचना पत्र प्रदर्श पी–10, मोटरयान अधिनियम की धारा 133 का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–11, मैकेनिकल रिर्पोट प्रदर्श पी–12, सुपुर्दनामा प्रदर्श पी–13, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–14, कथन क्रमशः प्रदर्श पी–15, प्रदर्श पी–16, प्रदर्श पी–17, प्रदर्श पी–18, थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन प्रदर्श पी–19 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं।

11– प्रकरण में दिनांक 30.07.2019 को अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदक क्रं–1 व 2 की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नही की गयी है।

12– साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक लक्ष्मी दास बैरागी अ.सा.क्रं.–1 व रोहित बैरागी अ.सा.क्रं.–2 क कथनो से यह स्पष्ट है कि वह दुर्घटना के समय मौजूद नहीं था किंतु देवेन्द्र कुशवाहा अ.सा. क्रं–3 द्वारा अपने कथन में मुख्यपरीक्षण के दौरान दुर्घटना से संबंधित जो तथ्य प्रकट किये गये है, उससे यह स्पष्ट है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस प्रकार का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस साक्षी द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में दुर्घटना से संबंधित जो तथ्य प्रकट किये गये है वे अविश्वसनीय है।

13– साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदकगण के द्वारा अपने मामले के समर्थन में प्रस्तुत प्रदर्श पी–2 प्रथम सूचना रिर्पोट की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 22.06.2017 को पंकज की सूचना पर बुलेरो क्रमांक एम.पी. 40 सी.ए. 3388 के चालक राकेश रघुवंशी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/17 अंतर्गत धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता की कायमी की गयी। जप्तीपत्रक **प्रदर्श पी–14** की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अपराध क्रमांक 252/17 अंतर्गत धारा 304 ए भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण में दिनांक 07.09.2017 को बुलेरो क्रमांक एम.पी. 40 सी.ए. 3388 जप्त किया गया। प्रदर्श पी–11 के दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि बुलेरो क्रमांक एम.पी. 40 सी.ए. 3388 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 मनोज रघुवंशी है।

14– प्रकरण अनुसार वाहन चालक अनावेदक क्रं. 1 का स्वयं का कथन भी न्यायालय में इस बाबत् नहीं कराया है कि दुर्घटना दिनांक को उसके द्वारा दुर्घटना वाहन क्रं. एम.पी.–40–सीए–3388 नहीं चलाया

Continued.....6

जा रहा था। इसलिए उसके विरुद्ध यह उपधारणा कि जावेगी कि दुघ टना में उसकी लापरवाही थी। इस संबंध में **बेनीबाई एवं अन्य बनाम सलीम एवं अन्य 1999(1)टी.ए.सी.868** का न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है, जिसमें दुर्घटना कारित वाहन के ड्रायवर के द्वारा स्वयं का कथन दुर्घटना के बाबत् न कराये जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की गई थी। इस प्रकार यह मानने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है कि अनावेदक कं. 1 के विरुद्ध अनावेदक कं. 2 के स्वामित्व के संबंध में झूठा मामला बनाया गया है।

15– इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक प्रकरणों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की पुष्टिकारक साक्ष्य से यह अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित होता है कि दिनांक 22.06.2017 को समय शाम 20:00 बजे या उसके लगभग स्थान पुलिया के पास, भाडोन थाना उदयपुरा में अनावेदक कमांक 01 वाहन चालक राकेश रघुवंशी ने अनावेदक कमांक 02 मनोज रघुवंशी के स्वत्व के वाहन बुलेरो कमांक एम.पी. 40 सी.ए. 3388 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की। जिसके परिणामस्वरूप राहुल उर्फ रिंकू की मृत्यु कारित हुई। अतः वादप्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष '' **प्रमाणित** '' निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 02</u>

16– अनावेदक कमांक 03 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का यह अभिवचन है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 01 वैध एवं प्रभावी लायसेंसधारी चालक नहीं था। इसकी जानकारी वाहन स्वामी अनावेदक कमांक 02 को थी। उसके उपरांत भी अनावेदक कमांक 02 ने उक्त वाहन को अनावेदक कमांक 01 से चलवाया। अनावेदक कमांक 01 ने बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, इसलिए अनावेदक कमांक 03 दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि के लिये उत्तरदायी नहीं है।

17– साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अनोवदक कमांक 03 के द्वारा अपने जबाव में यह अभिवचन किये गये है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 01 वैध एवं प्रभावी लायसेंसधारी चालक नहीं था। उक्त तथ्य की जानकारी वाहन स्वामी को थी इसके उपरांत भी वाहन का चालन कराया जो कि बीमा पॉलिसी की शर्त एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है इस कारण अनावेदक कमांक 03 दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि के लिये उत्तरदायी नहीं है। आवेदकगण द्वारा तीन साक्षियों के कथन अंकित कराये गये है। साक्षी कमांक 01 मृतक का पिता एवं साक्षी कमांक 02 मृतक का भाई घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं

Continued.....7

है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 03 देवेन्द्र कुशवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतक राहुल की मोटरसाईकिल और बुलेरो दोनों वाहनों में आमने–सामने से टक्कर होना बतलाया गया है तथा दुर्घटना बीच रोड पर होना कहा है। दुर्घटना मृतक की स्वयं की गलती, लापरवाही, उपेक्षा का परिणाम रही है। उक्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना अज्ञात वाहन से मृतक की स्वयं की उपेक्षा लापरवाही से होना प्रमाणित है। बुलेरो क्रमांक एम.पी. 40 सी.ए. 3388 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। आवेदकगण कोई भी क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क्रमांक 03 से पाने के अधिकारी नहीं है। आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अनावेदक क्रमांक 03 के द्वारा अपने जबाव में उपरोक्त आशय के जो अभिवचन किये गये हैं, उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करने का भार सुस्थापित विधि के आलोक में अनावेदक क्रमांक 03 पर था किंतु अनावेदक द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

18– अनावेदक क्रं.–3 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष की नहीं थी। मृतक के भाई रोहित बैरागी द्वारा अपनी आयु 20 वर्ष होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि मृतक उससे 4–5 साल छोटा था, उससे छोटा एक भाई रवि है जिसके बाद मृतक राहुल था। उक्त स्थिति में घटना दिनांक को मृतक की आयु 18 वर्ष नहीं थी। रोहित अ.सा.क्रं.–2 द्वारा के प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रं–9 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि रोहित द्वारा अपनी आयु शपथपत्र में 20 वर्ष लेख कराना तथा मृतक उससे 4–5 साल छोटा होना बताया है किंतु वहीं मृतक राहुल के पिता लक्ष्मीदास अ.सा.क्रं.–1 द्वारा घटना दिनांक को मृतक की आयु 18 वर्ष होना बताया है। वहीं मृतक राहुल के शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी–9 में भी मृतक की आयु 18 वर्ष होना लेख है ऐसी स्थिति में आवेदक क्रं.–1 लक्ष्मीदास जो कि मृतक का पिता है के कथनों की पुष्टि शवपरीक्षण रिपोर्ट से भी होती है। उक्त स्थिति में आवेदक क्रं.–1 के कथन तथा शवपरीक्षण के आधार पर मृतक की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष माना जाना उचित है।

क्षतिपूर्तिः–

19– माननीय सर्वोच्य न्यायालय के न्यायदृष्टांत श्रीमति **सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य ए.आई.आर सुर्प्रीम कोर्ट 3104** में मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रकिया और चरण बतलाये गये हैं, जिनकी पुष्टि माननीय सर्वोच्य न्यायालय के द्वारा अपने न्यायदृष्टांत **रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन ए.आई.आर 2013 सुर्प्रीम कोर्ट (SUPP.) 474** की कण्डिका 40 (4) व **नेशनल इं.कं.लि. विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य ए.आई.**

Continued.....8

<u>आर. 2017 सुर्प्रीम कोर्ट 5157</u> में की है। अतः उक्त न्यायदृष्टांतों में बतलायी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा।

<u>मृतक की उम्र के बारे में</u>

20– आवेदक लक्ष्मी दास बैरागी का कथन है कि दुर्घटना के समय उसके पुत्र की उम्र 18 वर्ष थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 में मृतक की उम्र डॉक्टर के द्वारा 18 वर्ष अंकित की गयी है। दुर्घटना दिनांक 22.06.2017 है। उपरोक्त स्थिति में मृतक राहुल की उम्र 18 वर्ष अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित माना जाना न्यायसंगत होगा। अतः उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में मृतक की उम्र 18 वर्ष अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित मानी जाती है।

<u>आमदनी के बारे में</u>

21– आवेदक लक्ष्मी दास बैरागी अ.सा.01 के द्वारा आवेदन की कण्डिका–3 में यह अभिवचन किया गया है कि उसका पुत्र मृतक राहुल हस्टपुष्ट और पढा लिखा था। कांट्रेक्टर कंपनी में काम करता था। उसे 10,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। साक्षी क्रमांक 02 के द्वारा भी अपने आवेदन कण्डिका–4 में भी यही अभिवचन किये गये है।

22– आवेदक लक्ष्मी दास बैरागी अ.सा.01 का कथन है कि उसका पुत्र मृतक राहुल हस्टपुष्ट और पढा लिखा था। कांट्रेक्टर कंपनी में काम करता था। उसे 10,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक लक्ष्मी दास बैरागी अ.सा.01 के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–10 में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक किस कंपनी मे काम करता था। साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके अपने पुत्र के कार्य करने के संबंध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

23– साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक क्रमांक 03 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आय सिद्ध करने का दायित्व आवेदकगण पर है। आवेदकगण के द्वारा मृतक की आय के संबंध में जो अभिवचन किये गये हैं। उस संबंध में विश्वसनीय एवं निश्चायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को में निश्चित रूप से बल है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि मृतक राहुल प्रतिमाह कंपनी में कार्य करने से 10 हजार रूपये की आय अर्जित करता था।

Continued.....9

24— साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के समय मृतक स्वस्थ्य व्यक्ति होना प्रकट किया गया है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जीवन यापन के लिये निश्चित ही प्रतिमाह आय अर्जित कर लेना अस्वाभाविक नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जहां मृतक की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर न हो वहां दुर्घटना के समय जो न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को प्रदान की जाती है, उसे नोशनल इन्कम मानकर प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायसंगत होता है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 10942/वित्त/2017 रायसेन दिनांक 31.10.2017 अवलोकनीय है। उक्त आदेश में अकुशल श्रमिक का मासिक वेतन 6,500/—रूपये होना बतलाया गया है। अतः क्षतिपूर्ति की गणना हेतु मृतक की प्रतिमाह आय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर 6,500/— रूपये मान्य की जाती है। अतः मृतक की आमदनी 6,500/—रूपये प्रतिमाह अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित पाता हूँ।

<u>गुणांक के बारे में</u>

25— माननीय सर्वोच्य न्यायालय के न्यायदृष्टांत सरला वर्मा में प्रतिपादित विधि के आलोक में मृतक की उम्र 18 वर्ष देखते हुए 18 का गुणांक करने का यह उचित मामला है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में 18 का गुणांक प्रयुक्त किया जाएगा।

<u>भविष्य की आमदनी</u>

26— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत **<u>नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य ए.आई.आर 2017 सुप्रीम कोर्ट 5157,</u>** उक्त न्यायदृष्टांत की कण्डिका—61 (IV) में माननीय न्यायालय के द्वारा यह विधि प्रतिपादित की गयी है, जहां मृतक स्व—रोजगार वाला हो या एक नियत वेतन पर काम करने वाला हो, वहां भविष्य की संभावना यदि मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम है तब स्थापित आय का 40 प्रतिशत ओर जोडा जायेगा।

27— अतः मृतक की आमदनी 6,500/—रूपये का 40 प्रतिशत 2,600/—रूपये भविष्य की आमदनी की हानि निर्धारित करता हूँ।

<u>व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च</u>

28— नवीनतम न्यायदृष्टांत **<u>रेशमा कुमारी विरूद्ध मदनमोहन एवं अन्य ए.आई.आर 2013 सुप्रीम कोर्ट (supp) 474</u>** के चरण क्रमांक 39 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च के बारे में न्यायदृष्टांत सरला वर्मा में

Continued.....10

प्रतिपादित विधि का सामान्यतः पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि उससे विचलित होने की परिस्थितियॉ न हो। प्रस्तुत प्रकरण मे आवेदकगण के द्वारा इस आशय की कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवेदक लक्ष्मी दास तथा उसकी पत्नि मृतक की आय पर आश्रित थी। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक अविवाहित था, ऐसी स्थिति में मृतक का जीवन निर्वाह खर्च उसकी आमदनी का 1/2 माना जाना विधि संगत होगा। अतः मृतक का जीवन निर्वाह खर्च उसकी आमदनी अर्थात् 6,500/–रूपये एवं भविष्य की संभावनाओं के 2,600/–रूपये कुल 9,100/–रूपये का 1/2 भाग अर्थात् 4,550/–रूपये प्रमाणित पाता हूँ।

<u>दाह–संस्कार खर्च</u>

29– माननीय सर्वोच्य न्यायालय के न्यायदृष्टांत **<u>ए.आई.आर 2017 सुर्प्रीम कोर्ट 5157</u>** में प्रतिपादित विधि के आलोक में दाह–संस्कार खर्च के शीर्ष में 15,000/– रूपये निर्धारित किये जाना न्यायसंगत होगा।

<u>प्रतिकर की गणना</u>

30– मृतक की मासिक आमदनी 9,100/–रूपये में से व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च 4,550/–रूपये कम करने पर आश्रितता की राशि 4,550/–रूपये आती है जिसमें उक्त अनुसार 18 का गुणांक प्रयुक्त करने पर 4,550 X 12 X 18 = 9,82,800/- रूपये प्रतिकर बनता है जिसमे दाह–संस्कार 15,000/–रूपये जोडने पर कुल रूपये 9,97,800/–रूपये प्रतिकर बनता है। राहुल की उम्र, तथा आमदनी के आलोक में एवं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों पक्षकारों के परिवेश को देखते हुए मेरे मत में 9,97,800/–रूपये प्रतिकर दिलवाया जाना युक्तियुक्त और न्यायसंगत प्रतिकर कहा जा सकता है।

<u>दायित्व का निर्धारण</u>

31– अनावेदक कमांक 01 की लापरवाही के परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई है। अनावेदक कमांक 02 उक्त वाहन का तत्समय पंजीकृत स्वामी होने से वह अपने वाहन चालक के कृत्य के लिये समान रूप से उत्तरदायी है। प्रश्नगत वाहन अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी के पास कथित दुर्घटना दिनांक को बीमित था इसलिए वह भी प्रतिकर अदायगी के लिये उत्तरदायी है। अतः आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक रूप से **9,97,800/–रूपये (नौ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रूपये)** प्रतिकर पाने के पात्र है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 03 सहायता एवं खर्चे</u>

Continued.....11

32– उपरोक्तानुसार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:–

1. अनावेदकगण, आवेदकगण को **9,97,800/–रूपये (नौ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रूपये)** क्षतिपूर्ति स्वरूप संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक दो माह की अवधि के अंदर अदा करे। उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 10.01.2018 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी अदा करे।
2. अनावेदकगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने पर आवेदक क्रमांक 01 एवं 02 क्रमशः **4,98,900/–4,98,900/– रूपये** पाने के अधिकारी होंगे।
3. राशि जमा होने पर आवेदक क्रमांक 01 एवं 02 को **4,98,900/–4,98,900/– रूपये** में से 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एकाउन्टपेयी चैक के माध्यम से नगद भुगतान की जावे। शेष 50 प्रतिशत राशि आवेदक क्रमांक 01 एवं 02 के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा की जावे। जिस पर कोई ऋण भार नहीं रखा जाएगा, तथा ब्याज की राशि आवेदकगण त्रैमासिक अंतराल पर प्राप्त कर सकेगा।
4. अनावेदकगण स्वयं के साथ साथ आवेदकगण का वाद व्यय भी वहन करेगें।
5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा परिशिष्ट के अनुसार, जो न्यून हो, प्रदान की जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

(श्रीमती सविता ओगले) सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के अति0 सदस्य बरेली, जिला रायसेन म.प्र.	**(श्रीमती सविता ओगले)** सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के अति0 सदस्य बरेली, जिला रायसेन म.प्र.

SAVITA OGALE
Digitally signed by SAVITA OGALE
Date: 2019.11.14 16:30:39 -08'00'

Continued.....